पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 201/2022

अनवान :

सुरेन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।

:– **वादी**

बनाम

1. काशीराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. संजय मारू पुत्र सुमित्रादेवी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी राजपूरा तहसील भादरा।
5. मोनू पुत्र सुमित्रादेवी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रवन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण बिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही ा डाबडी के खाता सं0 43/212 के खसरा सं0 195 की 8.181है0, खसरा नं0 66 0.9100है0, खसरा न0 68/694 की 5.5500है0 कुल खसरा 3 की 14.6410है0 में तिवादी सं0 1 काशीराम के नाम 3763/14641 हिस्सा दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 काशीराम अकेले की बजाए वादी सुरेन्द्र तथा प्रतिवादी सं0 1 काशीराम व प्रतिवादी 0 2 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी 0 3 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 और 2 के पक्ष में ाग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के परान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा ाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner